राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः प.2(30)नविवि/3/2016 पार्ट

जयपुर दिनांक : 19 JUN 2017

आदेश

मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना, 2017 की प्रगति की समीक्षा एवं इससे जुड़े अन्तर विभागीय मुद्दे के संबंध में माननीय मंत्री महोदय नगरीय विकास विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 25.05.2017 को सांय 04.00 बजे आयोजित हुई। उक्त बैठक में लिये गये निर्णय की अनुपालना में निम्न निर्देश एतदद्वारा प्रदान किये जाते हैः–

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा फायर सेस की वसूली की है उस प्राप्त राशि को नगर निगम, जयपुर को हस्तान्तरित की जावे। नगर निगम, जयपुर उस राशि का उपयोग फायर सेस जिस उद्देश्य के लिया गया है, उसी उद्देश्य के लिए काम में लेगा। इसके अतिरिक्त अन्य कार्यो में इस राशि को उपयोग नही किया जाएगा।

(2) महापौर एवं आयुक्त, नगर निगम, जयपुर के द्वारा हस्तांतरित की गई कालोनियों के विकास के लिए एवं उनको देय राशि बाबत शीघ्र ही आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर व नगर निगम, जयपुर बैठकर राशि बाबत सहमति बना कर आवश्यक प्रस्ताव प्रस्तुत करे।

(3) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नगर निगम, जयपुर को हस्तान्तरित की गई कालोनी में रिक्त भूखण्डों पर नगर निगम, जयपुर के द्वारा पट्टा दिये जायेगें।

नोटः–

(1) बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 16.06.2017 को जारी किये गये कार्यवाही विवरण के अनुसार बिन्दू संख्या 1 व 7 की कार्यवाही स्थानीय निकाय विभाग की ओर से सम्पादित की जावेगी।

(2) इस प्रकार बिन्दू संख्या 3 के संबंध में कार्यवाही राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा सम्पादित की जावेगी।

आज्ञा से,

19/6/17

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

प्रतिलिपिः निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है–

(1) विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग।
(2) निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग।
(3) निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
(4) महापौर, नगर निगम, जयपुर।
(5) आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण।
(6) सचिव नगर विकास न्यास (समस्त)
(7) सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
(8) निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग।
(9) संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय/तृतीय नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
(10) वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
(11) अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
(12) वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
(13) उप विधि परामर्शी, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
(14) रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम